न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 100/016 तारीख रजू 20.10.2016

बालू उर्फ बाबू पुत्र श्री कन्हैया जाति जाटव निवासी फोजीपुरा, तह0 टोडाभीम जिला करौली
:—अपीलान्टस

बनाम

1.रामस्वरूप पुत्र श्री बीरबल
2. शंकरे पुत्र बीरबल
3. राधे पुत्र शंकरे
4. राजेश पुत्र शंकरे
5. राजवीर पुत्र शंकरे
6. मुकेश पुत्र रामस्वरूप

सभी जाति मीना निवासी नांगल सुल्तानपुर तह0 टोडाभीम

7. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली — रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व आदेश अदालत मातहत तहसीलदार तहसील टोडाभीम मु. नं. 1/16 उनवानी बालू बनाम रामस्वरूप वगै0 आदेश तारीख 30.09.2016

निर्णय दिनांक 04.09.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है। कि वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार टोडाभीम के निर्णय दिनांक 30.09.2016 से अप्रशन्न होकर अपील पेश कर बताया गया है कि विवादित आराजी खसरा नं. 514,515,516,517/740 कुल किता 4 कुल रकवा 1.27है0 वाके ग्राम नागल सुल्तानपुर तहसील टोडाभीम में स्थित है। जो कि प्रार्थी/ अपीलान्ट की खातेदारी एवं कब्जे कास्त की आराजी है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 20.06.2016 को जबरन कब्जा कर लिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गोर नही फरमाया है कि प्रार्थी ने धारा 183 बी के तहत आवेदन पेश किया गया था किन्तु प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थीयान द्वारा जबरन कब्जा करने पर हमेशा विरोध करता आ रहा है। तथा इस भूमि पर धारा 175 आर टी एक्ट के प्रावधान लागू नही होते है जहा पर अधिनस्थ न्यायालय नें अपने आदेश में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को अप्रार्थीयान को बेचना/खरीदना बता कर निर्णय पारित किया गया है उस सम्बंध में पत्रावली में कोई मूल दस्तावेज शामिल नही है। तहसीलदार टोडाभीम ने प्रार्थीयान को कोई जबाव सबूत का अवसर नही दिया जाकर आगामी तारीख 01.09.2016 को साक्ष्य का अबसर दिया गया किन्तु कोई साक्ष्य रिकोर्ड पर नही ली गई है इस प्रकार से अपीलान्ट को जब रेस्पोडेण्टस व तहसीलदार टोडाभीम की कार्यशैली पर

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलव करते हुए अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रप्त की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 1,2,4 जरिये वकालान्तन उपस्थित आये रेस्पोडेण्ट संख्या 3,5,6 बाबजूद सूचना से उपस्थित नही है।

अभिभाषकगणो की बहस सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वकील अपीलान्ट ने अपने बहस कथन में अपील मीमो को दोहराते हुए निवेदन किया है कि विवादित आराजी अपीलान्ट की खातेदारी एवं अपने कास्त की भूमि है। अपीलान्ट अनुसुचित जाति का व्यक्ति है। तथा रेस्पोडेण्टस अनुसुचित जनजाति का व्यक्ति है। विवादित आराजी को अपीलान्ट द्वारा कभी भी विक्रय नही किया गया है। दिनांक 20.06.2016 को 5 वीघा भूमि पर जबरन जुताई कर दी गई जैसे ही पता चला रेस्पोडेण्ट के खिलाफ धारा 183 बी राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थनापत्र तहसीलदार टोडाभीम के यहा प्रस्तुत किया गया किन्तु अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर नही देते हुए निर्णय पारित कर दिया गया है। विक्रय सम्बंधि कोई मूल दस्तावेज पत्रावली में सामिल नही है। साक्ष्य अधिनियमो के तहत साक्ष्य ग्रहण करने से पूर्व मूल दस्तावेज रिकॉर्ड पर होना आवश्यक है जो निर्णय पारित किया गया है जो कानूनन विरूद्व है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेण्ट ने लिखित बहस पेश की। अपनी बहस कथन में अपील मीमो मे दर्ज विवादित आराजी अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जे कास्त की होना स्वीकार करते हुए रेस्पोडेण्ट नं. 1 व 2 को दिनांक 07.08.1996 को बेचान कर कब्जा करा दिया जिसकी बिक्रय राशि 1 लाख 30 हजार रूपये प्राप्त कर अपीलान्ट की सहमति से कब्जा सभला दिया गया। अपीलान्ट का मौके पर कब्जा जबरन करने को गतल बताया गया है। अपीलान्ट ने अपनी अपील मे कही भी यह जाहिर नही किया गया है कि भूमि को रेस्पोडेण्ट नं. 1व 2 को वेचान नही किया गया है। इस विवादित आराजी के सम्बंध में तहसीलदार टोडाभीम ने उप खण्ड अधिकारी टोडाभीम के न्यायालय में धारा 175 एल आर एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है। विवादित आराजी के वेचान के बाद वर्ष 1996 से प्रार्थनापत्र 183 बी का दिनांक 11.07.2016 को या सन् 2016 से पूर्व रेस्पोडेण्ट के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नही की गई है। जबकि वेदखली कार्यवाही की म्याद 12 वर्ष है। प्रार्थनापत्र व बेचान व कब्जे के 20 वर्ष बाद पेश किया गया है। बेचान संम्बंधि सभी कार्यवाहिया तहसीलदार न्यायालय में गवाह आदियो से जानकारी करने के उपरान्त भी निर्णय पारित किया

06.2016 को किया गया था जिसे तहसीलदार ने दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण को तलव करते हुए पटवारी हल्का से भी मौका रिपोर्ट चाही गई जिसमें विवादित आराजी अपीलान्ट की खातेदारी होना बता कर भूमि पर 20 वर्षो से रामस्वरूप पुत्र बीरवल ओंर शंकर पुत्र बीरबल का कब्जा बताया गया साथ ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विवादित आराजी को रेस्पोडेण्ट के पक्ष में बिक्रय होने के सम्बंध में गवाह, लेखक, तथा नोटेरी आदि के बयान दर्ज करना अंकित किया है। वहा पर सर्वप्रथम यह है कि जो भी साक्ष्य किसी भी प्रकरण में ग्रहण किये जायेगें उस प्रकरण में साक्ष्य मूल दस्तावेज होना आवश्यक है। किन्तु पत्रावली में मात्र छाया प्रति शामिल की हुई है। जो साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानो के तहत नही है। तथा रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानो के अनुशार 100 रूपये से अधिक की बिक्री होने पर उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हे। ओर धारा 52 टी पी एक्ट के तहत भी पालना होनी चाहिए दस्तावेज रेस्पोडेण्ट का छायाप्रति अनरजिस्ट्रर्ड है। इसको चुनौती देने हेतु तकमील मुआयदा (संविदा के पालन के लिए बाद) सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए थी किन्तु ऐसा नही करके मात्र अपने निर्णय में कब्जे के आधार पर आवेदक का प्रार्थनापत्र खारिज करते हुए धारा 175 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये है जो न्यायिक प्राकृतिक सिद्वान्तो के विपरीत है। जहॉ पर तहसीलदार नें लेखक, गवाह, नोटेरी के बयान दर्ज किये गये है। वहा पर तत्समय आवेदक से उनकी जिरह करानी चाहिए थी। जो नही की गई है जिससे विदित हो रहा है कि अपीलान्ट/ प्रार्थी को इस प्रार्थनापत्र के सम्बंध में नियमानुसार सुनने का अवसर नही दिया गया है मात्र इन गवाहो के आधार पर ही निर्णय पारित किया गया है। जो विधि विरूद्व है। हम वकील अपीलान्ट के कथनो से सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार टोडाभीम का मु. नं. 1/ 96 उनवानी बालू बनाम रामस्वरूप बगै. में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2016 को निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार टोडाभीम को पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए साक्ष्य अधिनियम आदि की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 183 बी आर टी एक्ट के तहत पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को उनकी पत्रावली के साथ भिजावाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।